न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 105/2015

1 सांवताराम पुत्र भूराराम उम्र 73 साल जाति गुर्जर निवासी नंगली निर्वाण तन केड तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 पोकर उम्र 24 साल पुत्र नाथा
2 धर्मा उम्र 22 साल पुत्र नाथा
3 धोली उम्र 60 साल पत्नी नाथा
4 उरमा उम्र 28 साल पुत्री नाथा
5 लीला उम्र 25 साल पुत्री नाथा
6 किताब उम्र 20 साल पुत्री नाथा
7 सुमेरी उम्र 19 साल पुत्री नाथा
8 बनवारी उम्र 35 साल पुत्र धोला
9 मनीराम पुत्र 58 साल पुत्र सांवलराम
समस्त जाति गुर्जर निवासी नंगली निर्वाण तन केड तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।
10 ग्यारसी देवी पत्नी शंकरलाल जाति माली निवासी पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
11 सुमित्रा देवी उम्र 48 साल पत्नी रामनिवास जाति अहीर निवासी चरखी दादरी जिला भिवानी, हरियाणा।
12 कैलाश देवी उम्र 48 साल पत्नी सूरत सिंह जाति अहीर निवासी चरखी दादरी जिला भिवानी, हरियाणा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

13 कृष्णा देवी उम्र 50 साल पत्नी रतन सिंह जाति अहीर निवासी चरखी दादरी जिला भिवानी, हरियाणा।

14 महादा उम्र 65 साल पुत्र पालाराम जाति गुर्जर निवासी नंगली निर्वाण तन केड तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

15 सन्तरा देवी पत्नी जगदीश जाति गुर्जर निवासी नंगली निर्वाण तन केड तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

16 सोदान उम्र 41 साल पुत्र धोलाराम जाति गुर्जर निवासी नंगली निर्वाण तन केड तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

17 भूमि विकास बैंक झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबंधक भूमि विकास बैंक लिमिटेड झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

18 लैण्ड होल्डर कम उप पंजीयक जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी मुकाम फॉलोअप
कैम्प कोर्ट उदयपुरवाटी दिनांक 16.07.2015 उनवानी
मुकदमा सांवताराम बनाम पोकर आदि वाद बाबत
रिकार्ड दुरूस्ती विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं.
112/2014

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र निर्वाण, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (झुंझुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 8.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 112/2014 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर ग्राम नंगली निर्वाण पटवार हल्का केड की भूमि खसरा नम्बर 1376, 1377, 1330, 1375, 1405, 1329, 1402, 1403, 1504, 1505, 1506, 1507, 1526, 1527, 1528, 1400 के विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर वादी अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली तलबी में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने तलबी पूर्ण किये बिना जवाब दावा प्राप्त किये बिना तनकी कायम किये बिना साक्ष्य लिये बिना निर्धारित तिथि से पूर्व पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखकर बिना सुनवाई बिना सहमति विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा वाद प्रस्तुत कर विभाजन का अनुतोष चाहा गया था। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे अपीलांट के हित प्रभावित नहीं हो रहे है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली तलबी में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने तलबी पूर्ण किये बिना जवाब दावा प्राप्त किये बिना तनकी कायम किये बिना साक्ष्य लिये बिना निर्धारित तिथि से पूर्व पत्रावली कैम्प कोर्ट में रखकर बिना सुनवाई बिना सहमति विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 8.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर